फैन्स/ई मेल

प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

मुख्य विकास अधिकारी,
शाहजहाँपुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, गोण्डा एवं फैजाबाद।

पत्रांकः 361 /डी0आर0डी0ए0(प्रशा0)/लेखा/07–08, दिनांक 30 मार्च,2008

विषयः–डी0आर0डी0ए0(प्रशा0) मद योजना के लिये वित्तीय वर्ष 2007–08 में व्यय हेतु धनराशि माँग के सापेक्ष स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक–जी0ओ0–77/डी0आर0डी0ए0(प्रशा0)/लेखा/आवंटन 2007–08 दिनांक 23.5.2007 एवं जी0ओ0–140/डी0आर0डी0ए0(प्रशा0)/लेखा/आवंटन/ 2007–08 दिनांक 23.8.2007 द्वारा डी0आर0डी0ए0(प्रशा0) मद की धनराशि का प्रदेश के समस्त जिलों को आवंटित किया गया था। उपरोक्त पत्र द्वारा आवंटित धनराशि में से जनपदों से समर्पण प्राप्त हुआ है।

समर्पित धनराशि को पुनर्ग्रहण करते हुए निम्न विवरण के अनुसार धनराशि इस प्रतिबंध के साथ आवंटित की जाती है कि आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण केन्द्रांश प्राप्त होने के उपराक्त ही केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश का आहरण किया जाये।

क्रमांक	जनपद का नाम	आवंटित धनराशि (लाख रू0 में)	प्रागामी योग (लाख रू0 में)
1–	शाहजहाँपुर	1.48	17.86
2–	मैनपुरी	2.49	16.90
3–	लखीमपुर खीरी	2.497	18.877
4–	गोरखपुर	0.38	16.10
5–	गोण्डा	3.286	19.006
6–	फैजाबाद	5.51	13.51
	योग	15.643	

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2007–08 में आय–व्यय के अनुदान सं0–13 के अन्तर्गत स्वीकृत की जानेवाली धनराशि लेखा शीर्षक–2501–ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम–01–समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम–800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–09–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण–(25 प्रतिशत राज्यांश)–43–वेतन–भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नामे डाला जायेगा। उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर के पृष्ठ सं0–110 पर कर दी गयी है।

भवदीय,

Manoj 28.3.08

(मनोज कुमार सिंह)
आयुक्त
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

e-4

पत्रांकः 361 /डी0आर0डी0ए0(प्रशा0)/लेखा/07–08 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उपसचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।

2– प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–2।

3– प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, नियोजन विभाग।

4– प्रमुख सचिव, उ0 प्र0 शासन, वित्त विभाग।

5– परियोजना निदेशक, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, गोण्डा एवं फैजाबाद।

6– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0 प्र0, इलाहाबाद।

7– मुख्य/वरिष्ट कोषाधिकारी, शाहजहाँपुर, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, गोण्डा एवं फैजाबाद।

(अवधेश कुमार)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।